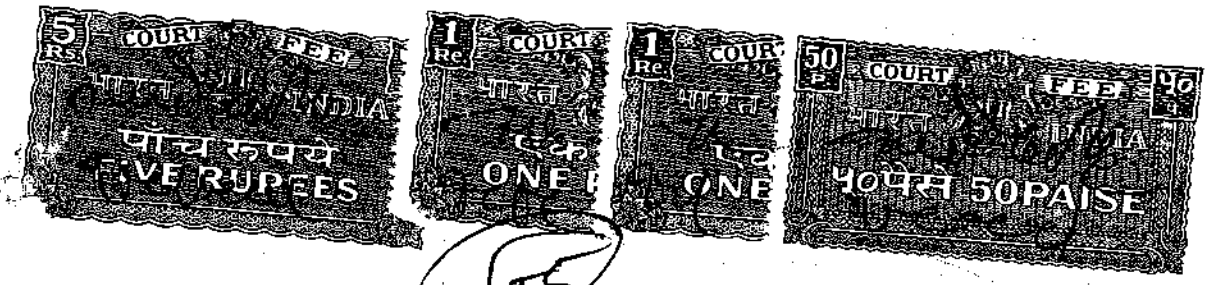

COURT FEE भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE भारत INDIA एक ONE

COURT FEE भारत INDIA एक ONE

COURT FEE भारत INDIA ५० पैसे 50 PAISE

55

C.F.B. 7.50

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक   १९३ निगरानी

/S-4/R/694/93

अवस्थी 18.8.93

18.8.93
क्लर्क ऑफ कोर्ट

१। हरिया पुत्र मनोहरा, निवासी मानीपुरा, परगना कोलारस, जिला शिवपुरी, म०प्र०

२। फोंगुरिया पुत्र मनोहरा, निवासी ग्राम मानीपुरा, परगना कोलारस जिला शिवपुरी, म०प्र०

३। हुकमी पुत्र मनोहरा, निवासी मानीपुरा, परगना कोलारस, जिला शिवपुरी, म०प्र०

४। उम्मेदा पुत्र ललचन्दी, निवासी मानीपुरा, परगना कोलारस, जिला शिवपुरी, म०प्र०

५। मिश्री पुत्र ललचन्दी, निवासी ग्राम मानीपुरा, परगना कोलारस, जिला शिवपुरी, म०प्र०

६। गुनैया पुत्र गोविन्दी, निवासी ग्राम मानीपुरा, परगना कोलारस, जिला शिवपुरी, म०प्र० ---- प्रार्थीगण

विरुद्ध

Ex. P. १। नत्थूसिंह पुत्र हरनामसिंह ठाकुर, निवासी ग्राम कस्बा कोलारस, जिला शिवपुरी, म०प्र०

25.9.02

१७-५-९३

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 694/1993 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
27–6–2016	आवेदक अभिभाषक श्री एस0के0 अवस्थी उपस्थित। आवेदक कमांक 1, 2, एवं 4 पूर्व से एकपक्षीय है। अनावेदक कमांक 3 एवं 5 की ओर कोई उपस्थित नहीं। आवेदक अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी जिला बंदोबस्त अधिकारी शिवपुरी के प्रकरण कमांक 3/89–90/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30–3–93 के विरूद्ध जिसके द्वारा आवेदकगण की निगरानी निरस्त की गई है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 22–3–93 का अधीनस्थ न्यायालय बंदोबस्त अधिकारी द्वारा आदेश पत्रिका में यह अंकित किया गया है कि "पिछली तिथि को आदेश दिया गया था कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की प्रति प्रस्तुत की जावे। आवेदक अभिभाषक कहना है कि अभिलेख प्रस्तुत है और निगरानी सुनवाई की जा चुकी है। अनावेदक अभिभाषक का कथन है कि धारा 48 एमपीएलआरसी के अंतर्गत यह निगरानी खारिज योग्य है।" अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22–3–93 का उल्लेख आदेश पत्रिका में किया गया है अभिलेख प्रस्तुत है और निगरानी सुनवाई की जा चुकी है। ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालय को म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 48 के बिन्दु पर कड़ा रूख न अपनाते हुये उदार दृष्टिकोण अपनाया	

RN- 694 | 93 शिवपुरी

जाना चाहिए था और धारा 48 के अन्तर्गत निगरानी खारिज नहीं करना थी। किन्तु बंदोबस्त अधिकारी ने तकनीकी आधार पर कड़ा रूख अपना कर निगरानी खाजिर करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाती है। बंदोबस्त अधिकारी शिवपुरी का आदेश दिनांक 30–3–93 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि पक्षकारों को एक माह का अवसर प्रदान करने के उपरांत प्रकरण का गुण–दोष के आधार पर निराकरण करें।

3/ आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस भेजा जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड दफ्तर हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य